2022
120

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान बनाम

केस संख्या 7/2022 धा.49 अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R Act

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	1.6.22	तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र क्रमांक 60 दिनांक 1.2.2022 के द्वारा ग्राम मामचेड़ी के खसरा नं. 190, 191, 194, 203, 184, 185 के मौके पर चालू स्थिति को विपरीत के अमल दरामद हेतु सहायता अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R Act के तहत पेश किया। तहसीलदार (शाहपुरा) की रिपोर्ट के अवलोकन, फर्द मौका व मौका निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रकाशित रास्ता सरकारी व गैरमजरूआ भूमि से होकर मामचेड़ी खेड़ से आगे जंगलात में जाना दरामद है तथा मौके पर रास्ता चालू होना पाया गया है। अतः कार्यवाही पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R Act के तहत एक सार्वजनिक प्रकृति मौके पर रास्ता चालू होने तथा सरकारी भूमि प्रकृति होने के सम्बन्ध दर्ज करने हेतु कार्यवाही पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश रूपए से लिखाया जाकर तामील गवाह 1. धनपतसिंह जेलसिंह तथा दीपक दफ्तर हो	254-215 1.6.22

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान